न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 699 / 2021

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी — ताराराम व अन्य

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 रा. भू. राज.एक्ट 1956

उपस्थिति–

1. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 57 व 57 / 1 (अपीलांट)
3. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता, शेष विप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

–: निर्णयः–

दिनांक–12.08.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांक:प.12()(1)राजस्व / 2016 / 7205–40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्र[illegible] कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम **घुड़िया मोतीसिंह** पटवार मण्डल **भूणिया खेड़ा** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत 2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित [illegible] जो मौके पर रास्ते [illegible] में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के हेतु प्रकरण प्रस्तुत हुआ। बाद पक्षकारान की सुनवाई के भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 दिनांक 10.08.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

में यह राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1)राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 80 (एच) के तहत प्रस्तावित भूमि को निर्णय दिनांक 25.02.2022 के जरिये गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करते हुए तहसीलदार को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु निर्देशित करते हुए कि निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित निजी खातेदारी में रखते हुए नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

विप्रार्थी स. 57 दुर्गाराम व 57/1 प्यारीदेवी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में दायर अपील स. 227/2023 दुर्गाराम व अन्य बनाम तहसीलदार सिणधरी में बाद सुनवाई अपने पारित निर्णय दिनांक 19.02.2024 के जरिये निर्देशित किया कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को प्रतिप्रेषित कर कि अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलाटस् के उल्लेखित ग्राम धूडिया मोतीसिंह के खसरा नम्बर 584 रकबा 2.8315 हैक्टयर भूमि के संबंध में अपीलांट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करे।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के उक्त निर्णय की पालना में रिमाण्ड प्रकरण पुनः उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस की गई।

विप्रार्थी सं. 57 व 57/1 की तरफ से वकील श्री भंवरलाल सारण तथा शेष विप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री पाबूराम बेनीवाल उपस्थित हुए।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विप्रार्थी सं. 57 व 57/1 के अधिवक्ता ने अपनी ओर से जवाब अथवा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये बिना अपनी बहस के मौखिक कथनों में उल्लेखित किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के तथ्य सारहीन एवं मनगढ़ंत है, जिसमें [illegible] (अपीलांटस) की मालिकाना व कब्जे काश्त की खातेदारी [illegible] जबरदस्ती बेदखल करते हुए रास्ता निकाला गया, जो [illegible] दर्ज नहीं किया जा सकता है तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का रास्ता विद्य[illegible] है, ऐसी स्थिति प्रार्थी के पैरोकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

इसके विपरीत शेष विप्रार्थीगण के वकील द्वारा भी अपनी ओर से साक्ष्य अथवा जवाब प्रस्तुत किये बिना अपने मौखिक अभिकथनों में बताया कि मौके पर पूर्व से चलायमान वर्षो पुराना बारहमासी चालू रास्ता आज भी मौके पर विद्यमान है और आस-पास के कई गांवों

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:42 IST
Reason: SelfAttested

जोड़ते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक समस्त खातेदार की पूर्व में विधिवत सुनवाई एवं सहमति से गै.मु. रास्ते के रूप में कटाण करवाया गया था, जो कि आस–पास के समस्त जनजीवन के आवागमन हेतु एक मात्र चलायमान रास्ता है। साथ ही कथन किया कि उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि समस्त विप्रार्थीगण (अपीलांटस को छोड़ते हुए) अपनी सहमति से चलायमान रास्ते पर भविष्य में पक्की सड़क निर्माण एवं सार्वजनिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कटाण करवाया है, जो सही होने से पूर्व में न्यायालय द्वारा पारीत आदेश दिनांक 25.02.2022 को यथावत रखा जावे।

विप्रार्थीगण की बहस के सन्दर्भ में प्रार्थी के पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पूर्व में श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205–40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम **धुड़िया मोतीसिंह** पटवार मण्डल **जूनामीठा खेड़ा** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित निजी खातेदारी की भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। जिस पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात् न्यायालय हाजा के समक्ष प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 14.02.2022 पर प्रार्थी के आवेदन के तथ्यों की पुष्टि होती है तथा प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार मौके पर चलायमान बारहमासी रास्ता आमजन की भौतिक सुखाचार हेतु उपयोग में आने पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 सही होने से यथावत रखे जाने के आदेश पारित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन किया गया। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.02.2024 में पारित तथ्यों पर पाया गया कि उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई में किसी पक्ष द्वारा कोई भी लिखित साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। प्रस्तावित कदीमी रास्ता में 15 खातेदारी के खेतों के कुल 58 खातेदारों को पक्षकार संयोजित करते हुए प्रस्तुत आवेदन में अपीलांट को छोड़ते हुए शेष समस्त खाताधारको की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय निर्णय दिनांक 25.02.2022 को यथावत रखे जाने में अपनी सहमति व्यक्त की [illegible] तक अपीलांट (विप्रार्थी सं. 57 व 57/1) को सुने जाने के क्रम में उनकी ओर से [illegible] अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नहीं की जिससे यह स्पष्ट होता हो कि मौके पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित कदीमी रास्ता मौके पर चलायमान अथवा मौके पर अवस्थित नहीं हो। अतः प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत इबारत के अनुसार प्रस्तावित चलायमान रास्ते को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:42 IST
Reason: SelfAttested

गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने हेतु पर बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर बारहमासी चलायमान रास्ते का उपयोग आम जन के भौतिक सुखाचार के लिए लिया जा रहा है, जिसे राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा के 15 में से 14 खाताधारको द्वारा सही होने से स्वीकार किया है। परन्तु अपीलांट द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत अपील में उसे सुना नहीं जाने तथा मालिकाना व कब्जे की भूमि से बिना किसी मुआवजे के वंचित रखने अथवा खातेदारी भूमि बिना अवाप्त किये रास्ते में दर्ज नहीं करने की दलील के विपरीत पैरोकार सरकार का यह कथन पर्याप्त है कि मौके पर चलायमान बारहमासी के रास्ते का मालीकाना हक मूल खातेदार के नाम ही है, परन्तु प्रस्तावित रकबे का उपयोग कदीमी रास्ते के रूप में किये जाने से उसका खाता अवश्य की नया खोला गया है, मालिकाना हको की समाप्ति नहीं किये जाने पर यह साबित नहीं है कि प्रस्तावित भूमि को अवाप्त किया जाना है। ऐसी स्थिति में रिमाण्ड प्रकरण में पक्षकारान की तलबी एवं उस पर उभयपक्ष की बहस एवं मोखित कथनों तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट अनुसार न्यायालय निर्णय दिनांक 25.02.2022 के संलग्न स्वीकृत प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा का भू–भाग जो मौके पर बारहमासी चलायमान रास्ता जो कि आस–पास के निवासियों के लिए आवागमन की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के पारित आदेश यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के विवेचन अनुसार रिमाण्ड प्रकरण में पक्षकारान की तलबी एवं उस पर उभयपक्ष की बहस एवं मोखिक अभिकथनों तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट अनुसार न्यायालय निर्णय दिनांक 25.02.2022 के संलग्न स्वीकृत प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा का भू–भाग जो मौके पर बारहमासी चलायमान रास्ता जो कि आस–पास के निवासियों के लिए आवागमन की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने में विप्रार्थी (अपीलांट सं. 57 व 57/1) के तथ्य साक्ष्य सबूतों के जरिये प्रमाणित नहीं होने के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 को यथावत कायम रखा जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/8/24

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी